



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 51 राँची, बुधवार, 11 माघ, 1945 (श०)
31 जनवरी, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

4 अगस्त, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ (क्षतिपूरक वनरोपण)-17/2022-2659(5)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.07.2022 में मद संख्या-28 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल-पाकुड़िया, हिरणपुर एवं महेशपुर के विभिन्न मौजा, विभिन्न थाना संख्या, खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में स्थित कुल रकबा- 405.88 एकड़ गैरमजरूआ खास, विभिन्न किस्म की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका-2(i) के अनुसार निर्धारित दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य

निर्धारित दर पर संगणित सलामी की राशि **31,74,38,748/-** (इक्कतीस करोड़ चौहत्तर लाख अड़तीस हजार सात सौ अड़तालीस) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि **39,67,98,435/-** (उनचालीस करोड़ सड़सठ लाख अठानवे हजार चार सौ पैंतीस) रुपये एवं लगान का **145** प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **57,53,57,737/-** (संतावन करोड़ तिरपन लाख संतावन हजार सात सौ सैंतीस) रुपये अर्थात् कुल देय राशि **1,28,95,94,920/-** (एक अरब अठाईस करोड़ पंचानवे लाख चौरानवे हजार नौ सौ बीस) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL), कॉल ब्लॉक पछवारा नॉर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- I. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- II. उपायुक्त, पाकुड़ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- III. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, पाकुड़ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- IV. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

- V. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- VI. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा०**, दिनांक-**24.10.2014** एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।
- VII. उपरोक्त संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-**2236**, दिनांक-**05.07.2022** को निरस्त समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

संचिका संख्या-5/संभू. पाकुड़ (क्षतिपूरक वनरोपण)-17/2022-2659/रा०

अनुलग्नक-1प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र. सं०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
1	03/2021-22	हिरणपुर	पहाड़पुर	127	24	91	7.00	जंगल-झाड़ी।
						136	6.00	
			केंदुआ	89	37	559	10.42	डुंगरी ।
						1293	7.03	झाड़ी-जंगल।
			तेलोपाड़ा	82	32	611	12.68	डुंगरी ।
			तेतुलिया पहाड़	45	32	93	15.00	पहाड़।
2	23/2021-22	महेशपुर	बासितपुर	54	19	17	6.61	पहाड़।
						421	8.26	
3	25/2021-22	महेशपुर	पथरादाहा	108	37	114	10.41	पुरातन पतित।
4	27/2021-22	महेशपुर	भिलाई बरमसिया	49	51	656	12.68	पहाड़।
5	06/2021-22	पाकुड़िया	छोटा उदालबनी पहाड़ी	5+6	51	1081	43.00	पहाड़।

क्र. सं०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
6	07/2021-22	पाकुड़िया	सूर्याडीह	7	15	294	21.65	डुंगरी ।
7	8/2021-22	पाकुड़िया	बाबूझूठी	56	65	296	34.00	पहाड़।
8	28/2021-22	महेशपुर	चांदपुर	343	47	136	20.58	डुंगरी ।
						100	11.00	
						01	9.98	
9	29/2021-22	महेशपुर	मादाडंगाल	41	19	54	11.68	जंगल-झाड़ी।
						65	31.08	
10	30/2021-22	महेशपुर	मयूरनाचा	25	30	416	17.23	पहाड़।
11	31/2021-22	महेशपुर	बलियापतरा	322	27	06	10.81	पुरातन पतित।
12	32/2021-22	महेशपुर	भिलाई	50	46	953	23.43	पहाड़।
13	33/2021-22	महेशपुर	गणेशपुर	01	32	272	15.85	पुरातन पतित।
						420	11.87	
14	34/2021-22	महेशपुर	खरूकडांगा	208	48	403	5.33	डोंगरी।
15	35/2021-22	महेशपुर	शहरपुर	46	50	1546	4.15	पुरातन पतित।
16	36/2021-22	महेशपुर	जब्दीखरियो पाड़ा	17	31	10	9.27	पुरातन पतित।
						135	5.44	
						103	10.00	

क्र. सं०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
17	37/2021-22	महेशपुर	बरहाबाद	97	43	990	13.44	पुरातन पतित।
कुल-							405.88	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका संख्या-5/संभू पाकुड़ (क्षतिपूरक वनरोपण)-17/2022-2659/रा०

अनुलग्नक-IIप्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान(सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज रेंट का पूंजीकृत मूल्य (लगान x 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य(लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03/2021-22	पहाड़पुर	58.13	7,82,100	45463473	2273173.65	56829341.25	82402544.81	184695359.06
		कैदुआ							
		तेलोपाड़ा							
		तेतुलिया पहाड़							
2	23/2021-22	बासितपुर	14.87	7,82,100	11629827	581491.35	14537283.75	21079061.43	47246172.18
3	25/2021-22	पथरादाहा	10.41	7,82,100	8141661	407083.05	10177076.25	14756760.56	33075497.81
4	27/2021-22	भिलाई बरमसिया	12.68	7,82,100	9917028	495851.40	12396285	17974613.25	40287926.25
5	06/2021-22	छोटा उदालबनी पहाड़ी	43.00	7,82,100	33630300	1681515	42037875	60954925	136623100
6	07/2021-22	सूर्याडीह	21.65	7,82,100	16932465	846623.25	21165581.25	30690092.81	68788139.06
7	08/2021-22	बाबूझूठी	34.00	7,82,100	26591400	1329570	33239250	48196912.50	108027562.50
8	28/2021-22	चांदपुर	41.56	7,82,100	32504076	1625203.80	40630095	58913637.75	132047808.75

9	29/2021-22	मादाङ्गाल	42.76	7,82,100	33442596	1672129.80	41803245	60614705.25	135860546.25
10	30/2021-22	मयूरनाचा	17.23	7,82,100	13475583	673779.15	16844478.75	24424494.19	54744555.94
11	31/2021-22	बलियापतरा	10.81	7,82,100	8454501	422725.05	10568126.25	15323783.06	34346410.31
12	32/2021-22	भिलाई	23.43	7,82,100	18324603	916230.15	22905753.75	33213342.94	74443699.69
13	33/2021-22	गणेशपुर	27.72	7,82,100	21679812	1083990.60	27099765	39294659.25	88074236.25
14	34/2021-22	खरूकडांगा	5.33	7,82,100	4168593	208429.65	5210741.25	7555574.81	16934909.06
15	35/2021-22	शहरपुर	4.15	7,82,100	3245715	162285.75	4057143.75	5882858.44	13185717.19
16	36/2021-22	जब्दीखरियो पाड़ा	24.71	7,82,100	19325691	966284.55	24157113.75	35027814.94	78510619.69
17	37/2021-22	बरहाबाद	13.44	7,82,100	10511424	525571.20	13139280	19051956	42702660
कुल-			405.88		317438748	15871937.4	396798435	575357736.99	1289594919.99
								या 575357737	या 1289594920

अर्थात् 1,28,95,94,920@& (एक अरब अठाईस करोड़ पंचानवे लाख चौरानवे हजार नौ सौ बीस) रुपये मात्र।

ह/-

सरकार के संयुक्त सचिव।
